रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 2000/भाद्र 17, 1922
No. 591] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 2000/BHADRA 17, 1922

भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2000

का.आ. 816(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के अहमदाबाद-मुंबई खंड में 261/2 किलोमीटर से 261/4 किलोमीटर के बीच जिसके अंतर्गत 259/4 किलोमीटर से 263/4 किलोमीटर तक इसके पहुंचमार्ग भी हैं, लेबल क्रासिंग के बदले पुल के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् चार लेन की सड़क के भाग का उपयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् पुल कहा गया है) करने के लिए यांत्रिक यानों पर नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से फीस उद्गृहीत और संदत्त की जाएगी तथा मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क और भवन विभाग या संबद्ध गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से 17 जून, 2001 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से फीस संग्रहीत करने और राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके खंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस —लोक वित्त पोषित परियोजना) नियम, 1997 के अनुसार विप्रेषित करने के लिए गुजरात सरकार को प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

(पुल के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली दरें)

क्रम सं.	प्रवर्ग के यान	प्रत्येक यात्रा के लिए प्रत्येक यान पर रूपयों में फीस की दरें
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर साईकिल, स्कूटर या यांत्रिक रूप से चालित कोई अन्य दुपहिया यान	कुछ नहीं
2.	मोटर कार, टैक्सी, जीप, पिक-अप वैन, स्टेशन वैगन, टैंपो, आटो रिक्शा, तिपहिया स्कूटर और ट्रेलर के साथ या रहित अन्य स्वतः चालित हल्के यान	5.00
3.	बस, ट्रक और अन्य भारी यान जिनके अन्तर्गत माल या सवारियों सहित चढ़ाया गया ट्रक-ट्रेलर संयोजन भी है, जब	
	(i) लदा हुआ हो	15.00
	(ii) लदा हुआ न हो	10.00

(1)	(2)	(3)
4.	ऐसे अन्य यांत्रिक रूप से चालित यान जो ऊपर वर्णित नहीं है जैसे मोबाइल क्रेन डोजर, मिट्टी हटाने वाला यान और रोड़ रौलर, जब	
	(i) लदा हुआ हो	20.00
	(ii) लदा हुआ न हो	20.00

टिप्पण : 1. जब इसी प्रकार के यान को एक दिन में एक बार से अधिक पुल को पार करना हो तब उपयोगकर्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह, जब पहली बार पुल को पार कर रहा हो उसी समय उपरोक्त दरों के डेढ़ गुणा संदाय कर दे या यदि यान को पुल का उपयोग एक माह तक या उससे अधिक किसी अवधि के लिए लगातार या बार-बार करना हो तब यान का स्वामी एकल दर के तीस गुणे के बराबर प्रभार का, यथास्थिति, मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क और भवन विभाग, गुजरात सरकार या गुजरात सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से गुजरात सरकार को संदाय करने पर मासिक पास प्राप्त कर सकेगा ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों को ऊपर विनिर्दिष्ट फीस से छूट दी जाती है, अर्थात् :--

(i) रक्षा वाहन,

(ii) अति-विशिष्ट व्यक्ति का प्रतीक लगे वाहन,

(iii) पुलिस वाहन,

(iv) अग्निशमन वाहन,

(v) एम्बुलेंस,

(vi) शवदाह वाहन,

(vii) डाक और तार विभाग के वाहन,

(viii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के ड्यूटी पर वाहन ।

3. निम्नलिखित व्यक्तियों के सरकारी वाहन अति-विशिष्ट व्यक्ति के प्रतीक वाले वाहन समझे जाएंगे,--

(i) भारत का राष्ट्रपति,

(ii) भारत का उप-राष्ट्रपति,

(iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के मंत्री,

(iv) लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों में विपक्ष के नेता जिनकी मंत्रिमंडल के मंत्री की हैसियत हो,

(v) राज्यों के राज्यपाल,

(vi) संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल,

(vii) लोक सभा, राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष या उपसभापति,

(viii) स्थानीय निर्वाचित निकायों के कार्यपालक पार्षद,

(ix) भारत में राजकीय यात्रा पर आए विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति,

(x) भारत में स्थित ऐसे विदेशी राजनयिक जो सी.डी. प्रतीक वाली कारों का उपयोग करते है ।

ऊपर वर्णित दरें पुल के आसपास परिनिर्मित सहजदृश्य स्थानों पर परिनिर्मित सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जाएंगी । यथास्थिति, मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क और भवन विभाग, गुजरात सरकार या गुजरात सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से गुजरात सरकार इस अधिनियम के अधीन फीस की प्रत्येक वसूली के अवसर पर संदायकर्ता को रसीद देगी ।

[सं. आर. डब्ल्यू./एन. एच.-15013/1/94-पी.एल.-वोल. II -डब्ल्यू. जी. जे.]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2000

S.O. 816(E).— In exercise of powers conferred by section 7 of the National Highways Act. 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles, for the use of the part of the National Highway i.e.four lane road over bridge in lieu of level crossing between km.261/2 to km.261/4 including its approaches from km.259/4 to km.263/4 in Ahmedabad Mumbai section of NH-8 (hereinafter referred as the bridge), at the rates specified in Schedule below, and hereby authorises the Government of Gujarat acting through the Chief Engineer(National Highways), Roads and Building Department or a person authorised by the State Government of Gujarat concerned to collect fees at the rates specified in the said Schedule upto 17th June,2001 and remit the fee in accordance with the National Highways (Fees for the Use of National Highway, Section and Permanent Bridge – Public Funded Project), Rules 1997.

SCHEDULE

(Rates to be recovered from users of the bridge)

Sl.No.	Categories of Vehicles	Fee Rates in Rs per vehicle per trip
(1)	(2)	(3)
1.	Motor Cycle, Scooter or any other two-wheelers mechanically propelled vehicle.	NIL
2.	Motor Car. Taxi, Jeep. Pick-up Van, Station Wagon. Tempo, Auto rickshaws, Three wheeler Scooters or other Auto driven light vehicles with or without trailer.	5.00

(1)	(2)	(3)
3.	Bus, Truck and other heavy vehicles including Truck Trailer combination laden with goods or passengers, when -	
	(i) Loaded	15.00
	(ii) Unloaded	15.00
4.	Other mechanically propelled vehicles not mentioned above such as mobile crane dozers, earth movers, road rollers, when	
	(i) Loaded	20.00
	(ii) Unloaded	20.00

NOTES:1. When the same vehicle has to cross the bridge more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the bridge on the first trip itself or if the vehicle has to use the bridge continuously or quite frequently for a month or even beyond that for longer period, the vehicle owner may avail of a monthly pass on payment of charges equal to thirty times of the single rate to the said Government of Gujarat acting through the Chief Engineer(National Highways) Roads and Building Department, Government of Gujarat or the person authorised by Government of Gujarat, as the case may be.

2. Following type of vehicles are exempted from the fee specified above, namely:-

(i) Defence vehicles,

(ii) Vehicles having VIP symbols,

(iii) Police vehicles,

(iv) Fire Fighting vehicles,

(v) Ambulances,

(vi) Funeral Vans,

(vii) Post and Telegraphs Department vehicles,

(viii) Central and State Government vehicles on duty.

3. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP Symbols:-

(i) President of India.

(ii) Vice-President of India.

(iii) Central Ministers and State Ministers,

(iv) Leaders of Opposition in the Lok Sabha or the Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister.

(v) Governors of States,

(vi) Lieutenant Governors of Union Territories,

(vii) Speakers or Chairmen of the Lok Sabha, Rajya Sabha or the State Legislatures,

(viii) Executive Councilors of local elected bodies,

(ix) Foreign dignitaries on State visit to India,

(x) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD symbols.

The above mentioned rates shall be displayed on a board erected at conspicuous places erected in the vicinity of the bridge. The Government of Gujarat acting through the Chief Engineer(National Highways) Roads & Building Department, Government of Gujarat or the person authorised by Government of Gujarat, as the case may be shall give a receipt to the payer on each and every occasion of recovery of fee under this notification.

[No. RW/NH-15013/1/94-PL-VOL.II-WGJ]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

2465 GI/2000-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054